अध्याय IV

मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

4.1 भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवाएँ

4.1.1 प्रस्तावना

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भाग हैं। इन 8 राज्यों की जनसंख्या 4.58 करोड़ हैं और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8 प्रतिशत अर्थात् 2,62,189 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करती है। इस क्षेत्र में एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बुनियादी ढाँचे जैसे रेल, सड़क, बिजली और दूरसंचार खराब स्थिति में है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है चाहे बात सड़क, रेल, जलमार्ग, वायु, ऊर्जा या दूरसंचार की हो। अतः मजबूत दूरसंचार, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का प्रावधान एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए केवल तीन लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र है जो हैं- असम लाइसेंस सेवा क्षेत्र, जिसमे केवल असम राज्य शामिल है, पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र, जिसमे छः राज्य अर्थात् मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्य शामिल हैं तथा पश्चिम बंगाल लाइसेंस सेवा क्षेत्र, जिसमे सिक्किम राज्य शामिल है।

बी एस एन एल इस क्षेत्र में निम्नलिखित प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहा हैः-

- **उपभोक्ता स्थायीसंपत्ति सेवाएं:-** वायरलाईन सेवाएँ, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएँ जिसमें फाइबर टू द होम, इन्टरप्राईज डेटा सेवाएँ जैसे लीज्ड सर्किट, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्वीचिंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्री-पेड कॉलिंग कार्ड, आदि शामिल हैं।
- **उपभोक्ता गतिशील सेवाएं**- मोबाइल के लिए ग्लोबल सेवाएँ जिनमें शामिल है- 2जी, 3जी और वैल्यू एडेड सेवाएँ, वायरलेस लोकल लूप, कोड डिविजन

मल्टीपल एक्सेस सेवाएँ, वर्ड वाइड इंटर आपेरेबिलिटी फार माइक्रोवेव एक्सेस सेवाएँ आदि।

इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए, बी एस एन एल ने अपने दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किए हैं जिसमें लैंडलाइन सेवाएँ प्रदान करने के लिए ट्रंक और टेलीफोन एक्सचेंज, जी एस एम और सी डी एम ए मोबाइल सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल स्विचिंग केन्द्र, बेस स्टेशन कंट्रोलर और बेस ट्राँसरिसीवर स्टेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास अपना ट्राँसमिशन मीडिया है जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव और बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल जो टेलीफोन एक्सचेंज, एम एस सी, बी एस सी और बी टी एस को जोड़ते हैं। इसके अलावा, बी एस एन एल ने बांगलादेश सबमैरिन केबल कम्पनी के संयुक्त प्रावधान से अगरतला (त्रिपुरा) में अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित किया है जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टविटी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए बी एस एन एल अपनी ही निधि से ओपेक्स और कैपेक्स नियोजित करता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को यू एस ओ फंड द्वारा विशेष परियोजनाएँ जैसे ग्राम पंचायत दूरभाष, बुनियादी ढाँचे जैसे बी टी एस, ओ एफ सी, ब्राडबैंड कनेक्शन और व्यापक दूरसंचार विकास योजना के लिए सब्सिडी दी जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बी एस एन एल द्वारा दी गई दूरसंचार नेटवर्क की पूर्णतः स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई हैः-

तालिका-1

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बी एस एन एल द्वारा दी गयी दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति

वर्ष	लैंडलाइन	बेतार	वीपीटी	ब्रॉडबैंड संयोजन	कार्यरत ओ.एफ.सी
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	आरकेएम
2012-13	395000	3122100	37993	155220	16166
2013-14	333000	2937700	38140	160289	19908
2014-15	304000	2781900	38220	161393	20270
2015-16	290000	3012200	34564	165186	21126
2016-17	281000	3242700	11614	167196	21620

*(**स्रोत:** सीपी और एम अनुभाग, बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा दिए गए राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि)*

असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में बी एस एन एल की तुलना में निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) का उपभोक्ता आधार निम्न प्रकार हैः-

तालिका-2

असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में बीएसएनएल और निजी सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ता आधार का तुलनात्मक विवरण

(लाख में)

तक	बेतार				वायरलाइन			
	असम		उ.पू.*		असम		उ.पू.*	
	बी एस एन एल	अन्य	बी एस एन एल	अन्य	बी एस एन एल	अन्य	बी एस एन एल	अन्य
मार्च 2013	12.36	131.52	17.57	72.04	1.94	0	1.90	0
मार्च 2014	12.81	139.97	15.22	78.89	1.83	0.01	1.40	0
मार्च 2015	12.61	158.90	14.07	89.83	1.66	0.01	1.27	0
मार्च 2016	13.16	172.16	15.37	94.46	1.59	0.02	1.24	0
मार्च 2017	15.07	203.03	15.92	108.99	1.53	0.02	1.21	0

स्रोत: *ट्राई उपभोक्ता आंकड़ा*

** सिक्किम के अलावा*

तालिका 2 में देखा जा सकता है कि मार्च 2017 तक, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में बी एस एन एल का बेतार उपभोक्ता आधार क्रमशः- 15.07 लाख और 15.92 लाख था जबकि निजी सेवा प्रदाताओं का क्रमशः 203.03 लाख तथा 108.99 लाख था। साथ ही, मार्च 2017 तक वायरलाईन खण्ड में उपभोक्ताओं की संख्या असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में क्रमशः1.53 लाख और 1.21 लाख थी।

4.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

पूरे भारत में बी एस एन एल के 26 क्षेत्रीय परिमंडल है जिसमें से तीन परिमंडल पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं अर्थात् असम परिमंडल, पूर्वोत्तर-I परिमंडल (मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) और पूर्वोत्तर-II परिमंडल (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर)। सिक्किम, पश्चिम बंगाल परिमंडल का हिस्सा है।

प्रत्येक परिमंडल का नेतृत्व मुख्य महा प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक सी जी एम (सी जी एम, पूर्वोत्तर कार्य बल) केवल विभिन्न ट्रॉसमिशन परियोजनाओं की स्थापना और कमीशन की देखभाल कर रहा है, जबकि दूसरा परियोजना परिमंडल अर्थात् पूर्वी दूरसंचार परियोजना जिसका मुख्यालय कोलकाता में है ट्रॉसमिशन परियोजनाओं के कुछ हिस्से की देखभाल कर रहा है। पूर्वी

दूरसंचार क्षेत्र जिसका मुख्यालय कोलकाता में है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूरस्थ ट्राँसमिशन माइक्रोवेव परियोजना, उपग्रह आदि के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

4.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम राज्य शामिल हैं, इन राज्यो मे बी एस एन एल द्वारा प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं का लेखापरीक्षण किया गया। लेखापरीक्षा कवरेज की अवधि 2012-13 से 2016-17 तक है। बी एस एन एल कॉरपरेट कार्यालय, असम, पूर्वोत्तर-I, पूर्वोत्तर-II, पूर्वोत्तर टास्क फोर्स, पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र, पूर्वी दूरसंचार परियोजना के परिमंडल मुख्यालयों और चयनित सेकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र (एस एस ए)[1] का लेखापरीक्षा किया गया।

4.1.4 लेखापरीक्षा परिणाम

समीक्षा में पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में बी एस एन एलकी योजना, खरीद, उपयोग एवम् प्रचालन निष्पादन से संबंधित कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल किया गया है। इन पहलूओं का मूल्यांकन दूरसंचार विभाग और बी एस एन एल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन बी एस एन एल के लक्ष्य, ट्राई और दूरसंचार विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों के साथ-साथ परियोजना रिपोर्ट में दिए गए मानदण्डों/लक्ष्य के समक्ष किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम आगामी पैराग्राफ में दिए गए है।

4.1.4.1 असम में अंत: जिला ओ एफ सी नेटवर्क के क्रियान्वयन मे असाधारण विलम्ब

बी एस एन एल ने (फरवरी 2010) यू एस ओ फंड से अंत: जिला उप-मंडलीय मुख्यालय, मंडलीय मुख्यालय, ओएफसी नेटवर्क बैंडविड्थ साँझाकरण पर ग्रामीण/ दूरस्थ क्षेत्र आवागमन के परिवहन के लिए असम के सेवा क्षेत्र में 27 मंडलीय मुख्यालयों और 269 उप-मंडलीय मुख्यालयों के विस्तार, निर्माण और प्रबंधन के लिए यू एस ओ फंड से समर्थन के लिए समझौता किया। यह समझौता 12 फरवरी 2010 से प्रभावी था और सात साल के लिए वैध रहा। बी एस एन एल को समझौते पर

[1] असम के डिब्रूगढ़ और सिलचर, पश्चिम बंगाल के सिक्किम, पूर्वोत्तर-I परिमण्डल के मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा तथा पूर्वोत्तर-II के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड़ और मणिपुर।

हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने के भीतर अर्थात 11 अगस्त 2011 तक अंत: जिला ओ एफ सी परिवहन को कमीशन करना था जो कि कठोर भूखंड, अधिक बंद, कुशल जनशक्ति की कमी, सेकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र से ओ एफ सी केबल युग्म की अनुपलब्धता, स्थानों को तैयार करने मे देरी और निधि प्राप्त करने मे देरी जैसे कारणों के कारण निर्धारित समय मे पूरा नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, यू एस ओ फंड ने बी एस एन एल के अनुरोध पर समय-समय पर अगस्त 2012, दिसंबर 2014, सितंबर 2016 और अंततः जून 2017 तक रोल आउट अवधि बढ़ा दी। जून 2017 तक, 25 जिलों में काम पूरा हो गया और दो जिलों जैसे दिमाहासाओ (पूर्व में उत्तरी कचार हिल्स) और करबीएंग्लोंग मे लंबित रहा।

इस प्रकार, कनेक्टिविटी का पूरा रोल आउट छह साल से अधिक की देरी के बाद भी हासिल नहीं किया जा सका। परियोजना के पूरा न होने मे देरी के लिए बी एस एन एल द्वारा जिम्मेदार कारणों में, असम परिमण्डल और पूर्वोत्तर टास्क फोर्स और बी एस एन एल के सिविल शाखा और बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ इनकी क्षेत्रीय इकाइयों के बीच परियोजना के विशिष्ट आवश्यकताओं पर समन्वय की कमी थी। परियोजना के पूर्ण न होने के कारण, असम सेवा क्षेत्र में कनेक्टिविटी को पूर्ण रूप से रोल आउट नहीं किया जा सका और बी एस एन एल ₹ 66.72 करोड़[2] की यू एस ओ सब्सिडी का दावा भी नहीं कर सका।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2018) कि पूर्वोत्तर टास्क फोर्स को विभिन्न बाधाओं जैसे असह्य इलाके, वर्ष मे 9 महीने वर्षा होना, बार बार होने वाले बाढ़/भूस्खलन, बंद और कुशल जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ा। इसमें आगे कहा गया कि जिलों के विभाजन के परिणामस्वरूप कुछ जिलों में नोड की पहचान और ओ एफ सी बिछाने की गैर-व्यवहार्यता आदि की वजह से देरी हुई। वर्तमान में, केवल पांच साइटें (संगबर, अमरिकहाट, जिरिकिंडलिंग, उमरंग्सु और दिघेली) कमीशन नहीं की गयी, जिसमें से चार साइटें कठिन क्षेत्र की थीं और पांचवीं साइट मार्च 2016 में ही आवंटित की गई थी। परियोजना 99 प्रतिशत पूरी हो गयी थी और ये साइटें मार्च 2018 तक पूरी हो जाएगी। बी एस एन एल ने यह भी कहा कि 40 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान जिलावार नेटवर्क कमीशन से जुड़ा हुआ था और बी एस एन एल ने 27 जिलों में से

[2] दो जिलों का 40% एफ एल एस - ₹ 7.38 करोड़ + ₹ 9.89 करोड़ जो कि 10% सेवा क्षेत्र कमीशन है जिसका भुगतान सम्पूर्ण सेवा-क्षेत्र के पूरा होने पर किया जायेगा + ₹ 49.45 करोड़ अर्थात् इक्वेटेड एन्नुअल सब्सिडी (ई ए एस) का 50%

24 जिलों के लिए सब्सिडी का दावा किया था। एक जिले का दावा सी सी ए, गुवाहाटी में लंबित था और शेष दो जिलों के लिए दावा इन जिलों में सभी नोडों को पूरा करने के बाद किया जाएगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है कि बी एस एन एल ने विस्तारित समय में भी काम पूरा नहीं किया। यू एस ओ फंड ने समय-समय पर बी एस एन एल को उपरोक्त कारणों पर बार-बार विस्तारण प्रदान किए और विस्तारों के बावजूद, काम अपूर्ण रहा।

4.1.4.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभ में देरी

भारत सरकार ने (सितम्बर 2014) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना को मंजूरी दी। मंजूरी के अनुसारः-

- बी एस एन एल को अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों[3] में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान से संबंधित कार्य निष्पादित करने के लिए नामित किया गया। अनुमानित परियोजना लागत ₹ 1975.38 करोड़ थी और पाँच वर्षों की अवधि के लिए पूंजी व्यय (कैपेक्स) और प्रचालन व्यय (ओपेक्स) का निवल राजस्व यू एस ओ फंड द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। यू एस ओ फंड द्वारा 10 प्रतिशत सेंटेज बी एस एन एल को देय था।
- बी एस एन एल को ट्रॉंसमिशन मीडिया प्लान से संबंधित कार्य को निष्पादित करने के लिए भी नामित किया गया था जो कि राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों मे ओ एफ सी रिंग कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा ट्रॉंसमिशन मीडिया की वृद्धि के लिए था। अनुमानित परियोजना लागत ₹ 295.97 करोड़ थी। कैपेक्स यू एस ओ फंड द्वारा वित्तपोषित किया जाना था।

बी एस एन एल को यह सुनिश्चित करना था कि बोली, पारदर्शी बोली प्रक्रिया द्वारा आमंत्रित की जाए तथा अनावृत गाँवों में 2जी कवरेज के लिए पाँच वर्षों के लिए वास्तविक लागत (केपैक्स के साथ-साथ ओपेक्स) तथा ट्रॉंसमिशन मीडिया योजना के मामले में कैपेक्स जिसे निविदा प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया हो, दूरसंचार आयोग को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना था।

---

[3] करबीएंग्लोंग और दीमाहसाओ जिले

परियोजना का लाभ/परिणाम, कार्यान्वयन की समय सारणी एवं दिसम्बर 2017 तक की स्थिति नीचे तालिका 3 में दी गई है:-

तालिका-3

परियोजना के लाभ/परिणाम का विवरण, क्रियान्वयन के लिये समय-योजना व दिसम्बर 2017 की स्थिति

मद	समय-योजना	वास्तविक स्थिति
अनावृत क्षेत्रों में 2जी मोबाइल कवरेज राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 2जी सीमलेस मोबाइल कवरेज	निविदा देने, कार्य प्रदान करने, नियम में संशोधन व समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु मंत्रिमंडल अनुमोदन के बाद एक वर्ष अर्थात् सितम्बर 2015	चूंकि बी एस एन एल द्वारा मांगी गई निविदा को अभी अंतिम रुप देना बाकी है। इसलिए बी एस एन एल को अभी नामित कार्यों की शुरुआत करनी है
राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में ट्राँसमिशन नेटवर्क में विश्वसनीयता और अतिरिक्तता सुनिश्चित करना।	पूर्वोत्तर में अनावृत क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सीमलेस मोबाइल कवरेज में 2जी कवरेज देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने के अठारह महीने बाद	
पूर्वोत्तर क्षेत्र में ओ एफ सी रिंग कनेक्टिविटी और ट्राँसमिशन मीडिया का विस्तार	समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो साल बाद	

(क) अनावृत क्षेत्रों में 2जी मोबाइल कवरेज

बी एस एन एल ने (अप्रैल 2016) अरुणाचल प्रदेश के अनावृत गाँवों एवं असम के करबी एंगलोंग व दिमाहसाओ जिले में 2जी जी एस एम नेटवर्क के सर्वेक्षण, योजना, आपूर्ति, प्रतिष्ठापना, परीक्षण, कमीशन, मौजूदा कोर नेटवर्क के साथ एकीकरण और पाँच वर्षों के लिए संचालन एंव रख-रखाव, रेडियो और वी सैट बैकहॉल के साथ सूचना आमंत्रण निविदा (एन आई टी) जारी की। केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृति में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार निविदा, कार्य प्रदान करना, नियम संशोधन तथा समझौता हस्ताक्षर सितम्बर 2015 तक पूरा किया जाना था। हालाँकि, अप्रैल 2016 में निविदा आमंत्रित किए गए थे और खोजे गए मूल्य मई 2017 में ही यू एस ओ फंड को सम्प्रेषित किए गए थे। निविदा आमंत्रित करने और यू एस ओ फंड को खोजे

गए मूल्य को सम्प्रेषित करने में देरी के कारण, परियोजना का कार्यान्वयन अभी तक शुरु नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2018) था किः

- सितम्बर 2014 में यू एस ओ फंड द्वारा बी एस एन एल को नामांकित किए जाने के बाद, बी एस एन एल ने यू एस ओ फंड से वी सैट प्रौद्योगिकी, निविदित एवं गैर-निविदित कैपेक्स और ओपेक्स के द्विविभाजन, ई डी जी ई/जी पी आर एस प्रौद्योगिकी आदि के बारे में स्पष्टीकरण माँगा। दूरसंचार विभाग ने (फरवरी 2015) उपग्रह ट्राँसपोन्डर आवश्यकताओं के अनुकूलन के अवलोकन के लिए एक समिति का गठन किया तथा मार्च 2015 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। निविदा में समिति द्वारा अन्तिम रूप प्रदान की गई विशिष्टताओं को शामिल किया गया। निविदित एवं गैर-निविदित कैपेक्स और ओपेक्स के द्विविभाजन के संबंध में, यू एस ओ फंड ने नवम्बर 2015 में अनुमानित लागत निकाली। अतः यू एस ओ फंड ने विशिष्टताओं को अंतिम रुप देने में विलम्ब किया और इसलिए, बी एस एन एल निविदा आमंत्रित नहीं कर सका क्योंकि इन्हें शामिल किया जाना था।
- निविदा को अंतिम रुप देने में देरी के संबंध मे बी एस एन एल ने कहा कि मार्च 2016 तक ही यू एस ओ फंड ने वी सैट, डेटा सुविधा आदि की विशिष्टताओं को अंतिम रुप दिया था। तत्पश्चात् अप्रैल 2016 में बी एस एन एल ने निविदा आमंत्रित किए चूंकि इन विशिष्टताओं को निविदा दस्तावेज में शामिल किया जाना था।
- निविदा के मूल्याकंन में देरी के संबंध में बी एस एन एल ने बताया कि दिए गए उपकरणों की क्षेत्रीय जाँच सितम्बर 2016 में पूर्ण हो गई थी तथा बोलीदाताओं से जिनके उपकरण क्षेत्रीय जांच में विफल हो गये थे, कई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त किये गये थे। बी एस एन एल में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि उपकरणों की पुन: जाँच की जाये तथा 8 मार्च 2017 को पुन: जाँच पूर्ण हुई। चूँकि शिकायतें पुन: प्राप्त हुई थीं, अतः अपनाई गई प्रक्रिया ठीक है या नहीं, यह जानने के लिए भारत के महान्यायवादी का परामर्श लिया गया था। परामर्श 20 अप्रैल 2017 को प्राप्त हुआ था, बोली 25 अप्रैल 2017 को खोली गयी थी तथा 1 मई 2017 को यू एस ओ फंड को खोज किया गया मूल्य प्रस्तुत किया गया था।

मंत्रालय के उत्तर की सराहना करते हुए, लेखापरीक्षा ने बताया कि हालाँकि सितंबर 2014 में सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी, फिर भी बी एस एन एल एवं यू एस ओ फंड दोनों के द्वारा उपकरणों की विशिष्टताओं को अंतिम रुप देने में देरी की गई। इसी देरी के परिणामस्वरुप मंत्रिमंडल की मंजूरी के तीन वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी परियोजना शुरु नहीं हो पाई।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ओ एफ सी रिंग कनेक्टविटी और ट्राँसमिशन मीडिया की वृद्धि

जैसा कि उपरोक्त पैरा 4.1.4.2 में दर्शाया गया था, यू एस ओ फंड द्वारा वित्तपोषित ₹ 295.97 करोड़ की अनुमोदित अनुमानित परियोजना लागत पर, बी एस एन एल को ट्राँसमिशन मीडिया योजना (अर्थात् राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों को ओ एफ सी रिंग कनेक्टविटी प्रदान करने और ट्राँसमिशन मीडिया की वृद्धि के लिए) से संबंधित कार्य निष्पादन के लिए नामित (सितम्बर-2014) किया गया था। निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण नीचे तालिका 4 में दिया गया है:-

तालिका-4

परियोजना के अनुसार कार्य का विवरण तथा यू एस ओ फंड द्वारा कैपेक्स के लिये अनुमानित लागत

क्र.सं.	कार्य-मद	मात्रा	यू एस ओ फंड द्वारा कैपेक्स के लिए अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
1	भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना	2122 कि.मी	169.79
2	एरियल ओ एफ सी बिछाना	1091 कि.मी	87.28
3	डेन्स वेवलेन्थ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उपकरण की तैनाती	70 ऑप्टिकल एड-ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स और 88 ऑप्टिकल एम्पलीफायर	14.90
4		21 नंबर डिजिटल क्रॉस कनेक्ट	24.00
	कुल		**295.97**

परियोजना में इन बातों की भी परिकल्पना की गई थीः-

- परियोजना के तहत बनाए गए संपत्तियों का स्वामित्व बी एस एन एल में निहित होगा;
- सूचना आमंत्रण निविदा को दिसम्बर 2014 तक जारी किया जाना था तथा निविदा मूल्यांकन एवं मंत्रालय के लिए खोज की गई लागत का प्रस्तुतीकरण मार्च 2015 तक पूरा किया जाना था।

बी एस एन एल ने भूमिगत केबल, केबल डक्ट इत्यादि लगाने और डी डब्ल्यू डी एम उपकरणों की खरीद के लिए निविदाएँ (फरवरी 2015) जारी की। अनुमानित लागत के साथ खोज की गई लागत नीचे तालिका 5 में दी गई हैः-

तालिका-5

मद-वार अनुमानित लागत और खोज की गयी लागत का विवरण

क्र.सं.	मद	अनुमानित लागत	खोज की गई लागत
		(₹ करोड़ में)	
1.	ओ एफ सी	257.07	498.68
2.	डी डब्ल्यू डी एम उपकरण	38.90	84.16
	कुल	**295.97**	**582.84**

खुली निविदाओं के माध्यम से खोजी गई लागत के साथ-साथ खोजी गई लागत के संदर्भ में विश्लेषण एवं टिप्पणियाँ यू एस ओ फंड (जनवरी 2016) को सूचित की गई। यू एस ओ फंड ने बी एस एन एल को निर्देश दिए कि (मई 2016) खोज की गई लागत का निर्धारण/मंजूरी कर,तय की गई उचित निविदित दरों की तर्क संगतता पर स्पष्ट एवं श्रेणीबद्ध सिफारिशें 6 जून 2016 तक प्रस्तुत करे, जिससे कि पूरी प्रक्रिया समाप्त की जा सके एवं अंतिम दरें तय की जा सके। बी एस एन एल ने यू एस ओ फंड को (दिसम्बर 2016) अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दरें खुली निविदा प्रक्रिया के बाद ई-रिवर्स नीलामी और मोल-भाव के बाद खोजी गई है, अतः सभी दरें उचित थी और खोजी गई लागत के लिए यू एस ओ फंड से मंजूरी मांगी। यू एस ओ फंड ने बी एस एन एल को सूचित किया कि (अप्रैल 2017) चूंकि खोजी गई लागत जोकि ₹ 582.84 करोड़ थी, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि ₹ 295.97 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए बी एस एन एल पुनः निविदा करे। बी एस एन एल ने (मई 2017) टर्नकी के आधार

पर एक और निविदा जारी करने का फैसला किया। मई 2017 में आंमत्रित निविदा को बी एस एन एल द्वारा अभी (जनवरी 2018) अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

अतः, देरी से निर्णय लेने के कारण, फरवरी 2015 में आमंत्रित निविदा को अप्रैल 2017 में खारिज कर दिया गया और इस प्रकार परियोजना शुरु नही हुई। इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विश्वसनीयता एवं ट्राँसमिशन नेटवर्क में अतिरेकता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ।

4.1.4.3 ओ एफ सी मार्गो के पुनर्वास के काम की खराब प्रगति

ट्राँसमिशन मीडिया नोड से नोड तक भारी मात्रा में डेटा ट्रैफिक ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेटा ट्रैफिक निम्नलिखित मीडिया के माध्यम से ले जाया जा रहा हैः-

(i) ऑप्टिकल फाइबर केबल

(ii) रेडियो

(iii) उपग्रह

बी एस एन एल ने दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ओ एफ सी मीडिया किराये पर लिया ताकि विश्वसनीय ट्राँसमिशन मीडिया प्रदान किया जा सके क्योंकि बी एस एन एल के अपने ओ एफ सी मीडिया के सड़क विस्तार कार्य के कारण क्षतिग्रस्त होने से, सेवा में व्यवधान पैदा हुआ था।

क्षेत्रीय ट्रंक योजना समिति ने असम, पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II परिमंडलों में पुनर्वास कार्यों के लिए 116 ओ एफ सी मार्गों को मंजूरी दी थी (अप्रैल 2008 और जून 2014)। उत्तर पूर्वी कार्य बल, गुवाहटी द्वारा इन कार्यों को निष्पादित किया जाना था।

पुनर्वास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि अब तक असम में कार्य प्रगति 10 प्रतिशत थी और पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II परिमंडलों में शून्य थी हालाँकि सभी कार्यों को लंबे समय से मंजूरी दे दी गई थी और देरी 3 से 10 वर्ष के बीच थी। यह भी देखा गया कि प्रत्येक आर टी पी सी बैठक में, ओ एफ सी मार्गों के कमीशन के लिए लक्ष्य तिथि लक्ष्यों को प्राप्त किए बिना बदल दी गई थी। सी जी एम टी एफ द्वारा कार्य को न किया जाना, सड़क चौड़ी करने का मुद्दा, निविदा

प्रक्रिया में देरी, मार्गाधिकार की प्रतीक्षा और काम का निष्पादन करने में देरी जैसे कारणों के कारण, कार्य की प्रगति खराब थी। विवरण नीचे दिए गए हैः-

तालिका-6

ओ एफ सी मार्गो की परिमंडलवार स्थिति

वर्गीकरण / स्थिति	**ओ एफ सी मार्ग जिसे पूरा किया जाना था (कि.मी. में)**		
	असम	**पूर्वोत्तर -I**	**पूर्वोत्तर -II**
सड़क विस्तार के तहत है, इसलिए नहीं लिया	518.00	82.00	22.00
मार्ग <10 किमी है, इसलिए पूर्वोत्तर कार्य बल द्वारा नहीं लिया जाएगा	32.50	142.50	4.60
उत्तर पूर्वी कार्य बल द्वारा शुरू किये गये	157.05	0.00	0.00
मार्ग डब्ल्यू आई पी में (58.423 किलोमीटर पी एल बी में बिछाई गयी)	58.20	94.92	18.40
पूर्वोत्तर कार्य बल द्वारा लिया गया मार्ग, जिसमें कोई पी एल बी नहीं बिछाया गया	269.30	37.42	276.20
पूर्वोत्तर कार्य बल द्वारा लिये जाने के लिए	479.50	271.00	8.80
पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र द्वारा किया गया	0.00	37.00	0.00
पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र ने मार्ग को देरी से करने का अनुरोध किया	0.00	10.00	0.00
सी पी बी में कोई फैसला नहीं लिया गया	0.00	0.00	67.00
कुल	**1514.55**	**674.84**	**397.00**

जुलाई-अगस्त 2017 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि असम, पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II में क्रमशः 1515,675 और 397 कि.मी. ओ एफ सी को पुनर्वासित किया जाना था। इसकी बजाय पूर्वोत्तर कार्य बल ने असम, पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II परिमंडलों में केवल 485 कि.मी. (32 प्रतिशत), 132 कि.मी. (20 प्रतिशत) और 295 कि.मी. (74 प्रतिशत) कार्य लिया जिसमें से 269 कि.मी., 37 कि.मी. और 276 कि.मी. पी एल बी नहीं बिछाई गई। अतः, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में

कमीशन होने के लिए कुल 2586.39 कि.मी. ओ एफ सी, मार्गों में से केवल 157.05 कि.मी. (6 प्रतिशत) को ही पूर्वोत्तर कार्य बल द्वारा कमीशन किया गया।

क्षेत्र में ओ एफ सी कार्य के पुनर्वास की खराब प्रगति के कारण बी एस एन एल ने अधिकतर मीडिया मैसर्स ऑयल इण्डिया लिमिटेड तथा मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से किराये पर लिया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि कठिन इलाके, राज्य सरकारों से मार्गाधिकार प्राप्त करने में कठिनाइयों और मध्यस्थता के मामलों के कारण नये ओ एफ सी लगाने में काफी समय लग रहा था। इसमें आगे यह कहा गया कि ओ एफ केबल की उपलब्धता होने से वर्ष 2016-17 में पुनर्वास कार्यों की प्रगति में सुधार हुआ।

4.1.5 अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का न होना

गृह मंत्रालय ने जुलाई 2014 में बी एस एन एल द्वारा मोबाइल टावर लगाये जाने का मामला दूरसंचार विभाग के साथ उठाया था ताकि बार्डर आउटपोस्ट तथा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्षेत्र जहां केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल जैसे सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, के लिये कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, को शामिल किया जा सके। जुलाई 2014 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थेः-

i. केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल तथा बी एस एन एल की संयुक्त सर्वेक्षण टीम केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल द्वारा अपेक्षित सभी स्थानों के लिये सर्वेक्षण करेगी तथा दूरसंचार विभाग को अंतिम सूची प्रस्तुत करेगी;
ii. दूरसंचार विभाग की सामान्य योजनाओं में शामिल किये गये स्थानों को सूची से हटाया जायेगा तथा बी एस एन एल स्थलों की अंतिम सूची हेतु अनुमान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को प्रस्तुत करेगा।
iii. केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल, बी एस एन एल द्वारा स्थलों को क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रस्ताव सी आर पी एफ जोकि समन्वयन एजेन्सी है, को प्रस्तुत करेगा; और
iv. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को अन्य केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल के साथ परामर्श करके विशेष रूप से अर्धसैन्य बलों के लिये बनाये जा रहे स्थलों हेतु निधि का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना था।

उपरोक्त निर्णयों के अनुसार बी एस एन एल पूर्वोत्तर-I परिमंडल (मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों) तथा पूर्वोत्तर-II परिमंडल (नागालैंड, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य) ने बी एस एन एल कार्पोरेट कार्यालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की (मई 2015)। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पूर्वोत्तर-I तथा पूर्वोत्तर-II परिमंडलों के क्रमशः 144 व 122 सर्वेक्षण किए गए स्थलों को शामिल किया जिसकी अनुमानित लागत क्रमशः ₹ 315.83 करोड़ तथा ₹ 226.33 करोड़ थी। तत्पश्चात् बी एस एन एल कार्पोरेट कार्यालय ने दूरसंचार विभाग को ₹ 2899 करोड़ की कुल लागत पर 1683 केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल स्थलों के लिये समेकित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की (मार्च 2016) जिसमें पूर्वोत्तर बी एस एन एल परिमंडल (हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर-I, पूर्वोत्तर-II, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश (पूर्वी), राजस्थान, असम, छत्तीसगढ तथा महाराष्ट्र परिमंडल) शामिल हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रगति पर लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर में बी एस एन एल ने सूचित किया कि जुलाई 2018 तक दूरसंचार विभाग से इस संबंध मे आगे कोई सूचना प्राप्त नही हुई।

इस सम्बंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई है-

i. 31 मार्च 2014 व 31मार्च 2018 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावार टावर की संख्या नीचे की तालिका मे दी गई हैं-

तालिका-7

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमा क्षेत्रों में टावर की संख्या का विवरण

(अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 कि.मी. की रेंज के भीतर)

सीमा	राज्य (सीमा लम्बाई, कि.मी.)	31.03.2014 को	31.03.2018 को	बैकबोन मीडिया	टिप्पणी
भारत-म्यांमार	नागालैंड (215 कि.मी.)	0	0		अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 कि.मी. की रेंज के भीतर कोई टावर नहीं था।
	अरुणाचल प्रदेश (520 कि.मी.)	4	4	ओ एफ सी (1) वीसैट (3)	पंचाओ में 1 टावर पिछले 8 महीनों से डाउन रहा,

सीमा	राज्य (सीमा लम्बाई, कि.मी.)	31.03.2014 को	31.03.2018 को	बैकबोन मीडिया	टिप्पणी
	मणिपुर (398 कि.मी.)	3	4	ओ एफ सी	
	मिजोरम (510 कि.मी.)	3	3	एम डब्ल्यू	
भारत-बांग्लादेश	मिजोरम (180 कि.मी.)	2	3	एम डब्ल्यू (2) /वीसैट (1)	
	त्रिपुरा (856 कि.मी.)	124	188	एम डब्ल्यू (72) ओ एफ सी (116)	

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, नागालैंड में म्यांमार के साथ 215 कि.मी. लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 कि.मी. के भीतर एक भी टावर नहीं है जबकि अन्य प्रदेशों में टावर घनत्व इस प्रकार था- अरूणाचल प्रदेश में 130 कि.मी./टावर, मणिपुर में 99.5 कि.मी./टावर तथा मिजोरम में 170 कि.मी./टावर। अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम व मणिपुर के लिये भारत-म्यांमार सीमा के मानचित्र दृश्य अनुलग्नक VI में दर्शाया गया है। गृह मंत्रालय ने भी संकेत दिया था कि क्षेत्र में अपर्याप्त सैलुलर कवरेज के कारण आम जनता में असंतोष था तथा क्षेत्र में म्यांमार के दूरभाष सेवा प्रदाताओं के सिग्नलों का फैलाव था जिसका क्षेत्र मे उपयोग किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा/अर्थव्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न करता है।

ii गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को प्रस्ताव दिया (नवम्बर 2016) था कि यू एस ओ फंड के तहत उपलब्ध निधि के साथ सीमा क्षेत्रों में टावर के रूप में संचार अवसंरचना का निर्माण किया जाये। हालाँकि, दूरसंचार विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रत्युत्तर में बताया कि (जुलाई 2018) दूरसंचार विभाग/ यू एस ओ फंड द्वारा सीमा व नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु निधि देने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यद्यपि गृह मंत्रालय ने 2014 में ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमा क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के प्रस्ताव की पहल की थी, वास्तव में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसी देशों के सिग्नल में फैलाव का

नागरिकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा/अर्थव्यवस्था के लिये खतरा है।

4.1.6 सेवा की गुणवत्ता - मीन टाइम टू रिपेयर

मीन टाइम टू रिपेयर (एम टी टी आर) एक तिमाही में सभी दोषपूर्ण घटनाओं के लिए प्रत्येक रिपेयर टाइम की अवधि के योग का उसी तिमाही में दोषपूर्ण घटनाओं की कुल संख्या द्वारा किया गया विभाजन है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की मार्च 2009 की अधिसूचना के अनुसार, मीन टाईम टू रिपेयर को "आठ घंटे से कम या बराबर" के रूप मे निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान असम, पूर्वोत्तर-I, पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र परिमंडलों व सिक्किम सेकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एम टी टी आर मानक से अधिक एम टी टी आर था, जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-8

एक वर्ष में ओ एफ सी दोषों का विवरण और वर्ष के लिए एम टी टी आर

वर्ष	परिमंडल/एस एस ए	एक वर्ष में ओ एफ सी दोषों / कटौतियों की संख्या	वार्षिक दोषों की अवधि (घंटों में)	वर्ष के लिए एम टी टी आर (घंटों में)
2014-15	सिक्किम (गंगटोक)	365	6309	17.29
	पूर्वोत्तर- II	413	8389	20.31
2015-16	असम	1624	38887	23.95
	पूर्वोत्तर- II	254	19307	76.01
	पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र	4132	37213	9.00
	सिक्किम (गंगटोक)	351	4110	11.71
2016-17	असम	1717	28367	16.52
	पूर्वोत्तर- I	662	12991	19.63
	पूर्वोत्तर- II	286	16701	58.40
	पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र	4354	43803	10.06

*(**स्रोत:** ट्रॉंसमिशन दोष रिपोर्ट)*

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एम टी टी आर 2014-15 में 19 घंटे से, 2015-16 में 15.5 घंटे, और 2016-17 में 14.5 घंटे तक का सुधार हुआ। उच्च एम टी टी आर के लिये बी एस एन एल द्वारा व्यापक सड़क चौड़ा करने का काम और सरकारी एजेंसियों द्वारा पुलिया निर्माण कार्यों को जिम्मेदार ठहराया गया जिसके परिणामस्वरुप ओ एफ केबल दोषों में वृद्धि हुई, कठिन क्षेत्रों की स्थिति के कारण 8 घंटों की समय सीमा हासिल करना संभव नही हो पाया, बारिश के मौसम में बार बार भूस्खलन की वजह से ओ एफ सी के दोषों को सुधारने में विलम्ब हुआ और कर्मचारियों की कमी थी।

जबकि ऊपर वर्णित बाधाओं का ध्यान दिया गया है, लेखापरीक्षा का तर्क है कि बी एस एन एल को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिये कि निर्माण के दौरान ओ एफ सी क्षतिग्रस्त न हो तथा दोषों में सुधार करने के लिये समय बद्ध योजना भी होनी चाहिए। हालाँकि, एम एम टी आर मे 14.5 घंटे तक का सुधार हुआ परंतु यह 8 घंटे के मानक से अभी भी ऊपर है और बी एस एन एल को इसे प्राप्त करने के लिए कार्यवाही/ योजना की शुरुआत करनी चाहिये।

निष्कर्ष

सितम्बर 2014 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक दूरसंचार विकास योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू करने में बी एस एन एल विफल रहा। यह व्यापक दूरसंचार विकास योजना के अंतर्गत प्रमुख निविदाओं के विफल होने के कारण हुआ जैसा कि नीचे दिया गया हैः-

- अप्रैल 2016 में ₹ 1,460 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर अनावृत गाँवों को कवरेज प्रदान करने के लिए 2जी जी एस एम नेटवर्क के सर्वेक्षण, योजना, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन, उपलब्ध कोर नेटवर्क के साथ एकीकरण तथा वी सैट, हब और रेडियो बैकहॉल के साथ, पाँच वर्षों के लिये संचालन एवं रख-रखाव से संबंधित निविदा।
- फरवरी 2015 में मुख्य महाप्रबंधक टेलीकॉम स्टोर्स, कोलकाता द्वारा जारी भूमिगत केबल, केबल डक्ट्स आदि को लगाने से संबंधित निविदा तथा

फरवरी 2015 में बी एस एन एल कार्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी डेन्स वेवलेन्थ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उपकरणों की खरीद के लिए निविदा।

इस प्रकार, उपरोक्त दो प्रमुख निविदाओं की विफलता के कारण व्यापक दूरसंचार विकास योजना का उद्देश्य नामतः अनावृत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 2जी कवरेज का रोल आउट तथा ओ एफ सी रिंग कनेक्टविटी के साथ ट्राँसमिशन मीडिया की वृद्धि अभी भी प्राप्त की जानी बाकी है।

क्षेत्रीय ट्रंक योजना समिति ने (अप्रैल 2008 और जून 2014) असम, पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II परिमंडलों में पुनर्वास कार्य के लिए 116 ओ एफ सी मार्गों को मंजूरी दी थी। पूर्वोत्तर कार्य बल, गुवाहटी द्वारा कार्यों को निष्पादित किया जाना था। अब तक असम में कार्य प्रगति दस प्रतिशत और पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II परिमंडलों में शून्य थी तथा देरी तीन से दस वर्ष के बीच थी। क्षेत्र में ओ एफ सी कार्य की पुनर्स्थापना की खराब प्रगति के कारण बी एस एन एल ने अधिकतर मीडिया मैसर्स ऑयल इण्डिया लिमिटेड तथा मैसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल) किराये पर लिया।

नागालैंड में म्यांमार के साथ 215 कि.मी. लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 कि.मी. के भीतर एक भी टावर नहीं है जबकि अन्य प्रदेशों में टावर घनत्व इस प्रकार था- अरूणाचल प्रदेश में 130 कि.मी./टावर, मणिपुर में 99.5 कि.मी./टावर तथा मिजोरम में 170 कि.मी./टावर। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को प्रस्ताव दिया था कि वह यू एस ओ फंड के तहत उपलब्ध निधि से सीमा क्षेत्रों में टावर के रूप में संचार अवसंरचना का निर्माण करे, दूरसंचार विभाग ने बताया कि दूरसंचार विभाग/यू एस ओ फंड ने सीमा व नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिये निधि का प्रस्ताव नही किया। इस प्रकार गृह मंत्रालय द्वारा 2014 में ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमा क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के प्रस्ताव की पहल के बावजूद इसमें प्रगति नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसी देशों के सिग्नलों का प्रयोग नागरिक कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा/अर्थव्यवस्था के लिये एक खतरा है।

मीन टाइम टू रिपेयर (एम टी टी आर) एक तिमाही में सभी दोषपूर्ण घटनाओं के लिए प्रत्येक रिपेयर टाइम की अवधि के योग का उसी तिमाही में दोषपूर्ण घटनाओं की कुल संख्या द्वारा किया गया विभाजन है। वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान असम, पूर्वोत्तर-I, पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र परिमंडलों व सिक्किम सेकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र में भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक "आठ घंटे से कम या बराबर" से अधिक एम टी टी आर था।

संगीता चौरे

नई दिल्ली **(संगीता चौरे)**
दिनांक: 27 सितम्बर 2018 **महानिदेशक लेखापरीक्षा**
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांक: 28 सितम्बर 2018 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**